न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला नागौर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनोज (RAS)

राजस्व वाद संख्या 14/2018 **RCMS 2018/00025**

वादी

1. चेनाराम पुत्र गोपीराम उम्र 42 वर्ष
2. गीतादेवी पुत्री गोपीराम उम्र 40 वर्ष जाति मेघवाल निवासीयान चारणवास तहसील कुचमानसिटी जिला नागौर

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. रामदेवराम पुत्र सेवाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम चारणवास तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान
2. राजस्थान राज्य जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार (भूमिधारी) कुचामनसिटी

दावा :–रेकर्ड दुरूस्ती बाबत अन्तर्गत धारा 88 R.T.Act 1955 व 136 R.L.R.Act 1956

उपस्थित :– श्री राजेश गुर्जर वादीगण की ओर से।

निर्णय

दिनॉक :– 31-08-2023

प्रकरण का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 एक ही परिवार के सदस्य है जिनका सजरा खानदान निम्नवत है :–

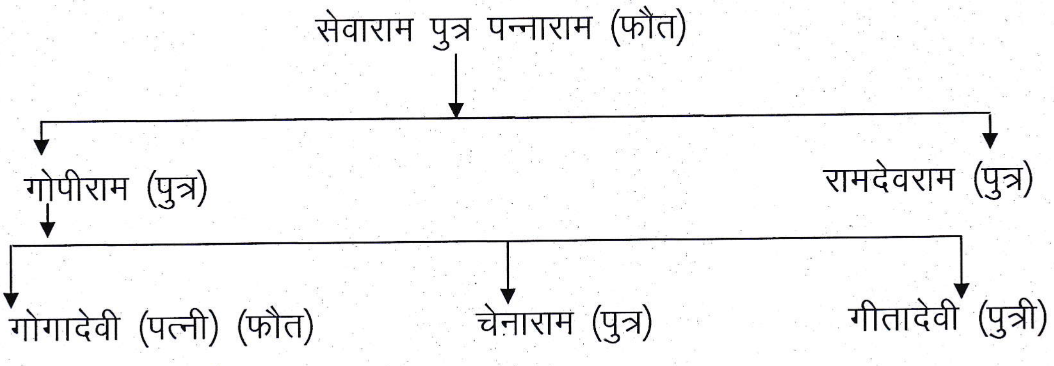

ग्राम चारणवास तहसील कुचामनसिटी की सरहद में कृषि भूमि खसरा नम्बर 198 रकबा 0.80 हैक्टर, खसरा [illegible] हैक्टर, खसरा नम्बर 200 रकबा 0.23 हैक्टर, खसरा नम्बर 201 रकबा 2[illegible] हैक्टर, खसरा नम्बर 217 रकबा 0.37 हैक्टर, खसरा नम्बर 218 रकबा 1.4[illegible] हैक्टर, [illegible] नम्बर 219 रकबा 0.85 हैक्टर, खसरा नम्बर 222 रकबा 0.09 हैक्टर, खसरा नम्बर 227 रकबा 0.1[illegible] हैक्टर, खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2023.11.03 13:03:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

नम्बर 340/227 रकबा 0.23 हैक्टर कुल रकबा 7.01 हैक्टर स्थित चली आ रही है, उपरोक्त भूमि में वादीगण के दादा सेवाराम पुत्र पन्नाराम के नाम से 1/8 हिस्सा भूमि खातेदारी में दर्ज चजी आ रही है जिनका स्वर्गवास हो जाने पर उनके उत्तराधिकारी वादीगण के पिताजी का स्वर्गवास हो जाने पर उनके स्थान पर वादीगण जरिये उत्तराधिकारी काबिज चले आ रहे है, प्रतिवादी सं. 1 रामदेवराम गोद चले गये, उक्त भूमि में वादीगण के दादाजी का नाम सेवाराम पुत्र पन्नाराम के स्थान पर देवा पुत्र पन्ना दर्ज हो गया जबकि सेवाराम पुत्र पन्नाराम दर्ज होना चाहिए था उक्त भूमि में वादीगण अपने नाम की खातेदारी दर्ज कराने के हकदार है इसलिए खातेदारी अधिकारों व रेकर्ड दुरूस्ती का वाद लाना आवश्यक हुआ है, वादीगण की इस्तदुआ है कि ग्राम चारणवास तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 198 रकबा 0.80 हैक्टर, खसरा नम्बर 199 रकबा 0.20 हैक्टर, खसरा नम्बर 200 रकबा 0.23 हैक्टर, खसरा नम्बर 201 रकबा 2.70 हैक्टर, खसरा नम्बर 217 रकबा 0.37 हैक्टर, खसरा नम्बर 218 रकबा 1.41 हैक्टर, खसरा नम्बर 219 रकबा 0.85 हैक्टर, खसरा नम्बर 222 रकबा 0.09 हैक्टर, खसरा नम्बर 227 रकबा 0.13 हैक्टर, खसरा नम्बर 340/227 रकबा 0.23 हैक्टर कुल रकबा 7.01 में से 1/8 हिस्सा देवा पुत्र पन्ना के स्थान पर सेवाराम पुत्र पन्नाराम के नाम की दुरूस्ती करते हुए वादीगण को खातेदार घोषित किया जाने का आदेश तहसीलदार कुचामनसिटी को प्रदान करावें।

वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण बावजूद इतला अनुपस्थित रहे जिससे उनके विरूद्व एक–पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। दस्तावेजी साक्ष्य में वादीगण की ओर से ग्राम पंचायत चारणवास द्वारा जारी वारिस प्रमाण–पत्र 01.07.2014 की छाया प्रति,नकल खतौनी सम्वत 2072–2075 खाता संख्या 15, 96 प्रस्तुत की है, मौखिक साक्ष्य में वादीगण गीतादेवी चैनाराम का शपथ–पत्र एवं गवाह पन्नाराम पुत्र नाथूराम मेघवाल जिलिया का शपथ–पत्र प्रस्तुत किया।

वकील वादी की एक–पक्षीय बहस सुनी गई, वादी वकील ने उपरोक्त वादग्रस्त खसरान में देवा पुत्र पन्ना के स्थान पर सेवाराम पुत्र पन्नाराम एवं उनके स्थान पर वादीगण के नाम खातेदारी राजस्व रेकर्ड में दर्ज किये जाने हेतु निवेदन किया है। प्रस्तुत जमाबन्दी का अवलोकन किया गया, ग्राम चारणवास के खसरा नम्बर 198 से 201 217, 218, 219, 222, 227, 340/227 कुल रकबा 7.01 हैक्टर में देवा पुत्र पन्ना हिस्सा–1/8 जाति मेघवंशी सा. देह खातेदार अन्य खातेदारान के साथ दर्ज है, प्रकरण में वादीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य इत्यादि प्रस्तुत नही किया गया है जिससे स्पष्ट हो सके कि देवाराम पुत्र सेवाराम पि. पन्नाराम एक ही व्यक्ति है, रामदेवराम पुत्र सेवाराम अन्यत्र गोद चला गया है तथा कब गया कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही, केवल मौखिक साक्ष्य एवं वादीगण के कथन से साबित नही होता

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2023.11.03 13:03:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

है कि देवा पुत्र पन्ना ही सेवाराम पुत्र पन्नाराम हो। वादीगण का वाद पत्र किसी भी दस्तावेजी साक्ष्य एवं अन्य साक्ष्य सबूत प्रस्तुत नही करने के अभाव में साबित नही होने के कारण काबिल खारिज है।

आदेश

अतः वाद वादीगण साबित नही होने से खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे।

आदेश आज दिनॉक 31.8.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(मनोज RAS)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2023.11.03 13:03:23 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकदमा इन्तेहाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : **उपखण्ड अधिकारी** मुकाम : **कुचामन सिटी**

बइजलास : **मनोज (आर.ए.एस.)**

राजस्व वाद संख्या 14/2018 **RCMS 2018/00025**

वादी

1. चेनाराम पुत्र गोपीराम उम्र 42 वर्ष
2. गीतादेवी पुत्री गोपीराम उम्र 40 वर्ष जाति मेघवाल निवासीयान चारणवास तहसील कुचमानसिटी जिला नागौर

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. रामदेवराम पुत्र सेवाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम चारणवास तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान
2. राजस्थान राज्य जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार (भूमिधारी) कुचामनसिटी

दावा :–रेकर्ड दुरूस्ती बाबत अन्तर्गत धारा 88 R.T.Act 1955 व 136 R.L.R.Act 1956

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–बरू वकील श्री राजेश गुर्जर हाजिरी .... मिनजानिब मुदई रू–बरू श्री .... मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि **अतः वाद वादीगण साबित नही होने से खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे।**

निज .... मुबलिग .... बाबत...................खर्चा इस मुकदमे के मय सूद शरह.... फीसदी सालाना आज की तारिख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 31 ....माह 8 .... सन् 2023 .... को जारी की गई।

दस्तखत उपखण्ड अधिकारी
ओहदा कुचामन सिटी (नागौर) (मुहर)

मुदई	रूपयें	पैसे	मुदायलय	रूपयें	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालात नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकिल		
महन्ताना वकिल			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोटः इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिग्री में ... दिलाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2023.11.03 13:03:23 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकदमा इन्तेहाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : **उपखण्ड अधिकारी** मुकाम : **कुचामन सिटी**

बइजलास : **मनोज (आर.ए.एस.)**

राजस्व वाद संख्या 14/2018 **RCMS 2018/00025**

वादी

1. चेनाराम पुत्र गोपीराम उम्र 42 वर्ष
2. गीतादेवी पुत्री गोपीराम उम्र 40 वर्ष जाति मेघवाल निवासीयान चारणवास तहसील कुचमानसिटी जिला नागौर

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. रामदेवराम पुत्र सेवाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम चारणवास तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान
2. राजस्थान राज्य जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार (भूमिधारी) कुचामनसिटी

दावा :–रेकर्ड दुरूस्ती बाबत अन्तर्गत धारा 88 R.T.Act 1955 व 136 R.L.R.Act 1956

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–बरू वकील श्री राजेश गुर्जर हाजिरी .... मिनजानिब मुदई रू–बरू श्री .... मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि **अतः वाद वादीगण साबित नही होने से खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे।**

निज .... मुबलिग .... बाबत....................खर्चा इस मुकदमे के मय सूद शरह.... फीसदी सालाना आज की तारिख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 31.........माह 8................. सन् 2023................ को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

दस्तखत..............................
ओहदा..............................(मुहर)

मुदई	रूपयें	पैसे	मुदायलय	रूपयें	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालात नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकिल		
महन्ताना वकिल			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोटः इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन का चाहे डिक्री [illegible] के खिलाफ गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj
Date: 2023.11.03 13:03:23 IST
Reason: SelfAttested